

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता
(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची ।

खण्ड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-2 में संशोधन ।
3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 में संशोधन ।
4. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में संशोधन ।
5. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 2, 2003 एवं अधिनियम 4, 2002 की धारा-2 में संशोधन ।
6. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 की धारा-10 (ii) में संशोधन ।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन)

विधेयक, 2011

[समा द्वारा यथांपारित]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक -

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-2 में संशोधन- झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-3 यथा संशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 10,500/- (दस हजार पांच सौ) रुपये के स्थान पर 40,000/ (चालिस हजार) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 10,000/- (दस हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 39,000/- (उनचालिस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में संशोधन - झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में निम्नवत् संशोधन किया जायेगा :-

क्षेत्रीय भत्ता

- (i) मुख्यमंत्री - 8,000/- रु० के स्थान पर 30,000/- रुपये।
- (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री - 8,000/- रु० के स्थान पर 20,000/- रुपये।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन)

यह विधेयक झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्राप्ति :-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार समस्त झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 07 अप्रैल, 2011 से प्रभावी रहेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम-04, 2004 तथा संशोधित अधिनियम-18, 2002 एवं अधिनियम 7, 2005 की धारा-2 में संशोधन- झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 (वि.सं.सं. 1) तथा संशोधित, 2002 में संशुद्धि करके मंत्रियों की इलाहा अंक एवं अन्य 12,000/- नईत करीब प्राप्त की जायेगी के स्थान पर 40,000/- (चातिस हजार) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं अन्य 10,000/- (दस हजार) रुपये के अकार पर अंक एवं अन्य 30,000/- (तीनवांसित हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2011 तथा संशोधित अधिनियम-02, 2008 की धारा-3 में संशोधन - झारखण्ड अधिनियम-08, 2001 तथा संशोधित अधिनियम-18, 2006 की धारा-3 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा -

संशोधन :-

- (1) मुख्यमंत्री - 8,000/- से अंक एवं 30,000/- रुपये।
- (2) मंत्री/उपमंत्री/असल - 4,000/- से अंक एवं 20,000/- रुपये।